27.06.23 अधिवक्तागण उप० । अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में कोई विवादित बिन्दु नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खर्ची किया गया, अधिवक्ता वादी द्वारा स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर पर्चा डिक्री जारी हो

28.06.23 अधिवक्तागण उप० । वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 27.06.23 की पालना में स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर पर्चा डिक्री जारी की गई डिक्री पर्चा शामिल पत्रा० हो पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली नस्तीबद्ध हो पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय सूची में शामिल रहे।

में से किला नम्बर 1(0.228 है.), 4/2(0.076 है.), 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.316 है. नहरी वादी संख्या 1 सोहन सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित जावे तथा चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 31/45 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 3.796 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से किला नम्बर 3(0.228 है.), 8, 13, 18, 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.240 है. नहरी वादी संख्या 2 गुरतेज सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।

(ग) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या व 4 की ओर से इकबालिया जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर बंटवारा करने में सहमति जाहिर की गई । प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है, राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्य नजर रखते हुए निर्णय किया जावे।

पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोंकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त जायज वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। वाद् पत्र में वर्णित भूमि वादीगण के दादाजी जगत सिंह पुत्र राम सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 17/05/1990 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने के कारण उक्त वर्णित विरास्तन में प्राप्त होने के कारण वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है। पक्षकारान के मध्य कोई किंसी प्रकार का विवाद नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

–::: आदेश ::–

अतः पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह पुत्र जगत सिंह के नाम दर्ज चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 31/45 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 3.796 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर **मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1(0.228 है.)**, 4/2(0.076 है.), 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) = **1.316 है. नहरी** वादी संख्या 1 सोहन सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है तथा **मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3(0.228 है.)**, 8, 13, 18, 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) = **1.240 है. नहरी** वादी संख्या 2 गुरतेज सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतू स्टाम्प प्रस्तुत किये जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिती पूर्वानुसार रहेगी तथा भूमि की किस्म (चाही नहरी/बारानी/गैर मुमकीन) भी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री
(Order 20 rule 6-7CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार, आर.ए.एस

अनुक्रम :– राजस्व वाद प्रकरण संख्या 057/2023

(1). सोहन सिंह पुत्र जगरूप सिंह उम्र 55 वर्ष

(2). गुरतेज सिंह पुत्र जगरूप सिंह उम्र 46 वर्ष

जाति रामदासिया निवासीयान चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

— वादीगण

–:: बनाम –::

(1). जगरूप सिंह पुत्र जगत सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(2). जसविन्द्र कौर {पुत्री जगरूप सिंह} पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति रामदासिया निवासी भागसर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(3). राजविन्द्र कौर {पुत्री जगरूप सिंह} पत्नी श्री मंगा सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 6 एमके "ए" तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(4). परमजीत कौर {पुत्री जगरूप सिंह} पत्नी श्री हरपाल सिंह जाति रामदासिया चक 6 एमके "ए" तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

(5). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र संख्या ..../2023
अर्न्तगत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता ऋषिपाल जोशी, विजया जोशी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता विजय कुमार भाटी एवं प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से उपस्थित पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि:–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह पुत्र जगत सिंह के नाम दर्ज चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 31/45 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 3.796 है. नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का विभाजन किया जाकर **मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1(0.228 है.), 4/2(0.076 है.), 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.316 है. नहरी** वादी संख्या 1 सोहन सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है तथा **मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 3(0.228 है.), 8, 13, 18, 23 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.240 है. नहरी** वादी संख्या 2 गुरतेज सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामदासिया निवासी चक 2 डी बड़ी, ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाती है एवं शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह की यथावत रखी जाती हैं।

.........2.....लगातार

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगे। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैर मुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...... शुन्य ....वास्ते .... शून्य .....खर्चा इस प्रकरण पर हुए व्यय पर मय ब्याज ......शून्य दर .....वार्षिक .....शून्य .... आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें।

वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

यहकि डिक्री आज दिनांक 28/6/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर